

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-261

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

विद्युत पारेषण लाइन परियोजना

*261. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जंस्कार तथा नुब्रा विद्युत पारेषण लाइन परियोजना भी लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना को पूरा करने की समयावधि सहित इसकी कार्यनीति/कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत पारेषण लाइन परियोजना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 12.03.2020 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 261 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ) : जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज 2015 के अंतर्गत तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.10.2016 के पत्र संख्या डीसीपी/जेएंडके/कैंप-जीआर/01-04 द्वारा भेजी गई पारेषण परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, विद्युत मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2017 में लद्दाख क्षेत्र में 354.74 करोड़ रुपये के परिव्यय पर निम्नलिखित पारेषण परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं:

- i. 220/33 केवी के 2 ग्रिड उप-केंद्र: डिस्कट (नुबरा) (50 एमवीए) तथा पाडुम (जंसकार) 50 एमवीए,
- ii. कारगिल-पाडुम (जंसकार) (207 किमी) तथा फ्यांग से डिस्कट (नुबरा) (100 किमी) सहित डी/सी टॉवर की 220 केवी एस/सी पारेषण लाइनें (कुल 307 किमी)
- iii. 220/66 केवी फ्यांग (लेह) उप-केंद्र तथा 220/66 केवी कारगिल एस/एस, प्रत्येक पर एक 220 केवी लाइन बे
- iv. 220 केवी बे सहित पाडुम में 1x25 एमवीएआर, 220/33 केवी बस रिएक्टर

उपर्युक्त कार्यों के लिए जम्मू कश्मीर विद्युत विकास विभाग (जेकेपीडीडी), जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार ने मार्च, 2017 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम पारेषण परियोजना कम्पनी लि. (आरईसीटीपीसीएल) को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में नियुक्त किया।

उपर्युक्त कार्य अवार्ड किए जाने के अग्रिम चरण में हैं। कार्यों के अवार्ड की स्थिति निम्नानुसार है:

- i. 4 प्रकार के पारेषण टॉवरों तथा 9 प्रकार की आधारशिलाओं की डिजाइन का कार्य पहले ही पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. को अवार्ड किया जा चुका है और कार्य फरवरी, 2020 में पूरा हो गया है।
- ii. सैम्पल टॉवरों के लिए डिजाइन टेस्टिंग मैसर्स स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर, भारत सरकार को दिसम्बर, 2019 में अवार्ड किया गया था और इसे 15 अप्रैल, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- iii. सैम्पल टॉवरों के फेब्रीकेशन के लिए डिजाइन टेस्टिंग दिसम्बर, 2019 में मैसर्स यूनिटेक को अवार्ड की गई थी और इसे 5 अप्रैल, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- iv. द्रास से पाडुम (जंसकार) तथा फ्यांग (लेह) से डिस्कट (नुबरा) पारेषण लाइनों और इससे जुड़े 2 220 केवी उप-केंद्रों के लिए ईपीसी (इंजीनियरिंग प्रापण एवं निर्माण) संविदाकारों के चयन हेतु आरईसीटीपीसीएल द्वारा क्रमशः अक्टूबर, 2019 और नवम्बर, 2019 में निविदायें पहले ही जारी की जा चुकी थीं और अवार्ड के लिए बोली प्रक्रिया मार्च, 2020 में पूरी होने का लक्ष्य है। कुल मिलाकर, ये कार्य ईपीसी संविदाओं के अवार्ड होने के बाद 28 माह में पूरे होने का लक्ष्य है।

इससे पूर्व, जेकेपीडीडी के अनुरोध पर, मार्गाधिकार मुद्दों के कारण जंसकार पारेषण लाइन का मार्ग कारगिल-पाडुम से बदलकर द्रास-पाडुम कर दिया गया था, परिणामस्वरूप मार्ग संरेखण में परिवर्तन हुआ। इसके अतिरिक्त, समुद्र के स्थल से 3000 से 5400 मीटर की ऊंचाई, (-)45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भारी हिमपात और तेज गति की हवाओं के साथ हिमस्खलन संभावित क्षेत्र जैसी स्थलाकृतिक स्थितियों के कारण तकनीकी विनिर्देशनों में परिवर्तन किए गए थे। उपर्युक्त पहलुओं को देखते हुए, जेकेपीडीडी ने कार्य की लागत में संशोधन किया है। मंत्रालय परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों का इस्तेमाल करने के तौर-तरीकों पर कार्य कर रहा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2996

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

शून्य-उत्सर्जन कोयला विद्युत संयंत्र

2996. श्री प्रताप सिम्हा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने शून्य-उत्सर्जन कोयला विद्युत संयंत्रों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते के अंतर्गत परियोजनाओं के कब तक शुरू होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2999

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

अविद्युतीकृत गांव

2999. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ऐसे गांवों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है जिनमें अभी भी विद्युत की आपूर्ति नहीं है;
- (ख) किसी गांव को विद्युतीकृत गांव के रूप में परिभाषित करने का आधार क्या है;
- (ग) देश के प्रत्येक कोने में किस वर्ष तक विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध होगा; और
- (घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी निधि आबंटित और कितनी उपयोग की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, देश के सभी आवासित जनसंख्या वाले गांव 28.04.2018 तक विद्युतीकृत हो गए हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006 के अनुसार, एक गांव को तभी विद्युतीकृत माना जाएगा, यदि:

- वितरण ट्रांसफार्मर तथा वितरण लाइनों जैसी मूलभूत अवसंरचनाएं आवासित इलाकों के साथ-साथ सोसायटी/छोटे गांवों के कमजोर वर्गों द्वारा बसे इलाकों, जहां भी मौजूद हों, को उपलब्ध कराई गई हों;
- सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालय, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों, सामुदायिक केन्द्रों इत्यादि को विद्युत उपलब्ध कराई गई हो, तथा
- किसी गांव में विद्युतीकृत घरों की संख्या कुल घरों की संख्या का कम से कम 10 प्रतिशत होना चाहिए।

तथापि, अक्टूबर, 2017 में सौभाग्य योजना के आरंभ होने के कारण गांव के विद्युतीकरण होने की परिभाषा ने अपना महत्व खो दिया है, जो देशभर के शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों तथा गांवों के सभी अविद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर की कनेक्टिविटी तथा विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराती है। सभी राज्यों ने 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के कुछ एलडब्ल्यूई प्रभावित बस्तर क्षेत्रों को छोड़कर, सभी घरों के विद्युतीकृत होने की सूचना दी है।

(घ) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत किसी भी राज्य को कोई अग्रिम आबंटन नहीं किया गया है। पिछली किस्तों का समुपयोजन सूचित करने तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर स्वीकृत परियोजनाओं के विरुद्ध निधियां किस्तों में निर्मुक्त की गई हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 (31.01.2020 तक) के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, अनुदान के रूप में, 36737 करोड़ रुपये वितरित किए।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3025

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्रों का क्षमता से कम उपयोग

3025. श्री रवि किशन:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वर्ष 2022 तक देश के ताप विद्युत संयंत्रों की पूरी क्षमता का मात्र 48 प्रतिशत का दोहन होने की संभावना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या ताप विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं होने के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान का कोई मूल्यांकन किया गया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) ताप विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) एवं (ख) : मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, देश के ताप विद्युत संयंत्रों की संस्थापित क्षमता, जिसमें कोयला आधारित तथा गैस एवं डीजल आधारित संयंत्र शामिल हैं, 479,419 मेगावाट की कुल प्रस्तावित संस्थापित क्षमता में से वर्ष 2021-22 में 243,037 मेगावाट हो जाने की संभावना है। वर्ष 2021-22 में कोयला आधारित क्षमता का संयंत्र भार गुणांक (पीएलएफ) 56.5 प्रतिशत रहने की संभावना है।

(ग) और (घ) : विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अंतर्गत विद्युत की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों को अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता के अल्प उपयोग के कारण वित्तीय हानि नहीं उठानी पड़ेगी क्योंकि वे लाभग्राहियों से निश्चित प्रभारों की पूर्ण वसूली पाने के पात्र हैं बशर्ते कि प्रामाणिक उपलब्धता प्राप्त हो।

(ङ) : ताप (कोयला/लिग्नाइट आधारित) स्टेशनों का पीएलएफ/उत्पादन देश में विद्युत की कुल मांग पर निर्भर करता है जो जलवायु/मौसमी स्थितियों, विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की मांग में बढ़ोतरी तथा हाइड्रो, न्यूक्लियर, गैस आदि जैसे विभिन्न अन्य स्रोतों से उत्पादन द्वारा प्रभावित होता है। इसके साथ-साथ, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (सौर, पवन एवं लघु जल विद्युत) को "मस्ट रन स्टेट्स" प्रदान किया गया है। ऐसे स्रोतों से विद्युत को वरीयता आधार पर डिस्पैच किया जाता है और सामान्यतः इसका पूरा उपयोग किया जाता है। जल विद्युत संयंत्रों से उत्पादन पानी की उपलब्धता के अनुरूप होता है और सामान्यतया इसका पूरा उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, कोयला/लिग्नाइट आधारित संयंत्रों का उपयोग थर्मल स्टेशनों से अपेक्षित शेष उत्पादन और किसी विशेष संयंत्र की मेरिट क्रम में स्थिति पर निर्भर करता है, परिणामस्वरूप ताप विद्युत स्टेशन सामान्यतया कम पीएलएफ पर प्रचालन करते हैं। देश में गैस आधारित उत्पादन का पीएलएफ गैस की उपलब्धता नहीं होने के कारण कम है।

सरकार किफायती ऊर्जा भंडारण प्रणाली अर्थात् पंप्ड स्टोरेज जल विद्युत संयंत्र, बैटरी स्टोरेज आदि के प्रयोग की संभावना तलाश रही है, ताकि गैर-व्यस्ततम कालीन अवधि के दौरान उत्पादित विद्युत का व्यस्ततम अवधि के दौरान प्रयोग करने के लिए भंडारण किया जा सके। इससे ताप विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3056

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

अटल वितरण प्रणाली सुधार योजना (आदित्य)

3056. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राज्यों को अपने उपभोक्ताओं को आपूर्ति बिजली का एक तिहाई भाग संवितरण हानियों के रूप में वहन करना पड़ रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या इससे न केवल उपभोक्ता बल्कि विद्युत उत्पादक भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का विचार भारत के औसत सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (एटीएंडसी) को 21.4 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत पर लाने के लिए अटल वितरण प्रणाली सुधार योजना (आदित्य) शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) उक्त योजना के लिए स्वीकृत तथा जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) वितरण हानियों को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : तीन राज्यों और चार संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर (जिनसे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्ष 2018-19 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, राज्य आपूर्ति की गई विद्युत के केवल 84.27 प्रतिशत के लिए ही बिलिंग कर सके हैं। बिलिंग नहीं किए गए यूनिटों के रूप में हानियां 15.73 प्रतिशत हैं। इन हानियों के कारणों में तकनीकी हानियां; दोषयुक्त मीटर; गलत बिलिंग; तथा चोरी इत्यादि शामिल हैं।

(ग) : विनियामकों द्वारा स्वीकार्य सीमा से अधिक वितरण यूटिलिटियों की उच्च सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों से डिस्कॉमों की वित्तीय हानियां होती हैं। इससे सम्पूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसमें उत्पादन कंपनियां भी शामिल हैं।

(घ) : वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में सरकार ने संसद सदन को सूचित किया है कि डिस्कॉमों को सुधारने के लिए उपाय करेगी, और विद्युत मंत्रालय स्मार्ट मीटरिंग को प्रोत्साहित करने की भी इच्छा रखता है।

(ङ) : उक्त के संबंध में योजना अभी तक अनुमोदित नहीं की गई है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

(च) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत का वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह वितरण लाइसेंसधारियों का दायित्व है कि वे अपनी प्रणाली में एटीएंडसी हानियों में कमी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। तथापि, भारत सरकार राज्यों को अपनी वितरण अवसंरचना और प्रणालियों में सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करके इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु राज्यों/यूटिलिटियों को सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शामिल हैं, ताकि एटीएंडसी हानियों को कम किया जा सके। आईपीडीएस/डीडीयूजीजेवाई योजनाओं के अंतर्गत, उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना के सृजन/संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, भूमिगत (यूजी) केबिलों; एवं एरियल बंच (एबी) केबिलों; तथा वितरण अवसंरचना की आईटी समर्थता जैसी तकनीकी हानियों में कमी लाने वाले उपायों की परिकल्पना की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3064

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

ग्रिड स्थिरता

3064. श्री के. मुरलीधरन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रिड स्थिरता के मुद्दे के समाधान के लिए नवीकरणीय के साथ परम्परागत विद्युत को संयुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत एक वर्ष से विभिन्न कारणों से भारत में 20,000 मेगावाट क्षमता की विद्युत परिसंपत्तियां अटकी हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ख) : विद्युत मंत्रालय ने 5 अप्रैल, 2018 को उत्सर्जन कम करने के लिए तापीय विद्युत स्टेशनों के उत्पादन और कार्यक्रम में लचीलापन प्रदान करने के लिए कार्य प्रणाली जारी की है। इस कार्य प्रणाली के तहत, तापीय विद्युत उत्पादन कंपनी के पास वर्तमान संविदात्मक करारों के तहत सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति के लिए अपने तापीय विद्युत या नवीकरणीय विद्युत का उपयोग करने का लचीलापन है।

यह लचीलापन उत्पादनकर्ताओं को नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) स्रोतों से इष्टतम उपयोग उत्पादन का अवसर प्रदान करता है और उत्सर्जन में कमी लाने में भी सहायता करता है। विद्युत के लाभार्थियों को नवीकरणीय ऊर्जा सहित सुनिश्चित विद्युत भी प्राप्त होगी जिससे आरपीओ दायित्वों को पूरा करने में उन्हें सहायता मिलेगी। मौजूदा पीपीए के तहत तापीय विद्युत के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति से प्राप्त किया गया शुद्ध लाभ 50 (लाभार्थी) : 50 (उत्पादनकर्ता) के समानुपात में लाभार्थी को दिया जाएगा।

(ग) और (घ) : 40,130 मेगावाट की क्षमता वाले 34 कोयला आधारित तापीय पावर स्टेशन थे, जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार संकटग्रस्त हैं। इसमें से 16,540 मेगावाट की क्षमता वाली 14 परियोजनाओं का समाधान किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) ने विद्युत क्षेत्र में संकटग्रस्त स्थिति के लिए निम्नलिखित कारणों की पहचान की है:

- (i) कोयला आपूर्ति संबंधी मुद्दे
- (ii) विद्युत मांग में धीमी वृद्धि
- (iii) डिस्कॉमों द्वारा भुगतानों में देरी
- (iv) इक्विटी और सेवा ऋण देने के लिए प्रमोटर की असमर्थता
- (v) विकासकर्ताओं द्वारा परियोजना कार्यान्वयन में धीमी गति
- (vi) बैंकों/वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं (एफआई) से संबंधित मुद्दे
- (vii) प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में बोलीदाता द्वारा दिए गए अति महत्वाकांक्षी टैरिफ
- (viii) विनियामक तथा संविदात्मक विवाद।
- (ix) कोयला खदानों की नीलामी से संबंधित कानूनी मुद्दे।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3082

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

विद्युत खरीद अनुबंध

3082. श्री ए. के. पी. चिनराजः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का सिर्फ बिजली खरीद अनुबंध को लागू करने के लिए ही एक नया अधिकरण (ट्रिब्यूनल) स्थापित करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) प्रस्तावित अधिकरण में नामांकित होने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है;
- (घ) प्रस्तावित अधिकरण की प्रकृति, इसके दायित्व और शक्तियां क्या हैं; और
- (ङ) उक्त अधिकरण के कब तक स्थापित एवं कार्यात्मक होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : देश में आकर्षक निवेश के लिए संविदाओं की शुचिता बनाए रखना एक प्रमुख कारक है। कुछ विद्युत क्रय करारों को फिर से खोलने के लिए कुछ मामले केंद्र सरकार के ध्यान में लाए गए हैं। भारत सरकार ने सभी पक्षों को स्पष्ट कर दिया है कि संविदाओं की शुचिता अवश्य बनाए रखी जाए और सरकार इसे लागू करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3091

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

एनईईपीसीओ का एनएचपीसी के साथ विलय

3091. श्री तापिर गावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एनईईपीसीओ) का राष्ट्रीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (एनएचपीसी) में विलय करने का है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं;
- (ग) क्या सरकार का विचार एनईईपीसीओ में उत्तर-पूर्व के कर्मचारियों के लिए कोई रोजगार गारंटी प्रदान करने का है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : जी, नहीं।

(ख) से (घ) : ऊपर दिए गए उत्तर के भाग (क) के अनुसार, प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3130

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

बिजली की घटती मांग

3130. श्री मितेश पटेल (बकाभाई):

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत एक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली की मांग में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान बिजली की मांग और आपूर्ति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में बिजली की मांग में कमी के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : पिछले दो वर्षों अर्थात् 2017-18 और 2018-19 और अप्रैल 2019-फरवरी 2020 और अप्रैल 2018-फरवरी 2019 की तुलनात्मक अवधि के दौरान, देश में वास्तविक विद्युत आपूर्ति का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि समग्र रूप से देश में विद्युत मांग में कोई कमी नहीं आई है और देश में समग्र ऊर्जा की आवश्यकता आपूर्ति की गई ऊर्जा के अनुरूप बढ़ रही है।

लोक सभा में दिनांक 12.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3130 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले दो वर्षों अर्थात् 2017-18 और 2018-19 और अप्रैल, 2019 - फरवरी, 2020 और अप्रैल, 2018 - फरवरी, 2019 की तुलनात्मक अवधि के दौरान, देश में वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा

| वर्ष | ऊर्जा आवश्यकता | | आपूर्ति की गई ऊर्जा | | आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा | |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------|-----|
| | (एमयू) | वृद्धि (% में) | (एमयू) | वृद्धि (% में) | (एमयू) | (%) |
| 2017-18 | 1,213,326 | 6.2 | 1,204,697 | 6.1 | 8,629 | 0.7 |
| 2018-19 | 1,274,595 | 5.0 | 1,267,526 | 5.2 | 7,070 | 0.6 |
| 2018-19 (फरवरी, 2019 तक) | 1,166,087 | - | 1,159,170 | - | 6,917 | 0.6 |
| 2019-20 (फरवरी, 2020)* | 1,190,746 | 2.1 | 1,184,672 | 2.2 | 6,074 | 0.5 |

* अंतिम

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3174

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

विद्युत पर राजसहायता

3174. श्री अनुराग शर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्युत पर राजसहायता प्रदान करके मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्यों के बीच एक सामान्य प्रवृत्ति विकसित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सस्ती या निःशुल्क बिजली सरकारी खजाने पर एक बोझ साबित होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है या दिए जाने की संभावना है कि ऐसी रियायतें देने से बचें जो आर्थिक रूप से सही नहीं हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(छ) के अनुसार उपयुक्त आयोग इस उद्देश्य से निर्देशित होगा कि विद्युत की आपूर्ति की कुशल और विवेकपूर्ण लागत को प्रगतिशील रूप से प्रकट करता है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें, राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर किसी उपभोक्ता को या उपभोक्ताओं की श्रेणी को सब्सिडी प्रदान कर सकती हैं। ऐसे मामले (मामलों) में, संबंधित राज्य सरकार के लिए, ऐसी सब्सिडी का भुगतान, अग्रिम रूप से और ऐसे ढंग से करना आवश्यक है, जिसे राज्य आयोग द्वारा सब्सिडी की स्वीकृति से प्रभावित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हो। अतः, सब्सिडी राशि का भुगतान विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार के वित्तीय साधनों से किया जाना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3195

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

विद्युत पीएसयू द्वारा सीएसआर वित्तपोषण

3195. डॉ. लोरहो फोज़:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र सहित देशभर में सीएसआर निधियों के अन्तर्गत विद्युत पीएसयू द्वारा पीएसयू-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और
- (ख) विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान मणिपुर में सीएसआर निधियों के अन्तर्गत विद्युत पीएसयू द्वारा जिले-वार/पीएसयू-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देशभर में सीएसआर निधियों के अंतर्गत विद्युत पीएसयू द्वारा पीएसयू एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार खर्च की गई राशि की मात्रा का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) : विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान मणिपुर में सीएसआर निधियों के अंतर्गत विद्युत पीएसयू द्वारा जिले एवं पीएसयू-वार खर्च की गई धनराशि का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 12.03.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3195 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन (3) वित्तीय वर्षों के दौरान पूर्वोक्त क्षेत्र सहित सम्पूर्ण देश में विद्युत पीएसयू द्वारा अपनी सीएसआर निधियों के तहत खर्च की गई निधियों की मात्रा के ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | पीएफसी | आरईसी | एनटीपीसी | एनएचपीसी | एसजेवीएन | टीएचडीसी | नीपको | पीजीसीआईएल | पोसोको |
|----------|--------------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|--------|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 9.85 | 2.14 | 52.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 |
| 2. | बिहार | 31.01 | 15.72 | 57.13 | 20.91 | 5.35 | 0 | 0 | 34.23 | 0 |
| 3. | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 19.80 | 0 | 114.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0 |
| 5. | दिल्ली | 5.00 | 18.08 | 18.25 | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.0005 | 61.06 | 1.87 |
| 6. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| 7. | गोवा | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | गुजरात | 12.50 | 12.50 | 23.40 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 16.27 | 0 |
| 9. | हरियाणा | 0 | 5.63 | 4.07 | 135.78 | 0.12 | 0 | 0 | 17.51 | 0 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 1.94 | 0.74 | 1.69 | 413.02 | 92.17 | 0 | 0 | 6.57 | 0 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 0.75 | 0.65 | 0 | 112.30 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 |
| 12. | झारखंड | 43.91 | 2.19 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 0 |
| 13. | कर्नाटक | 0 | 4.44 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0.17 |
| 14. | केरल | 0 | 0.49 | 13.06 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 1.69 | 5.14 | 72.87 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 10.52 | 0 |
| 16. | महाराष्ट्र | 7.39 | 0 | 19.16 | 2.10 | 1.00 | 0 | 0 | 22.66 | 0.47 |
| 17. | अरुणाचल प्रदेश | 7.89 | 0 | 0 | 89.75 | 0.91 | 0 | 4.08 | 0.39 | 0 |
| 18. | असम | | 0 | 7.16 | 409.07 | 0 | 0 | 3.95 | 9.37 | 0 |
| 19. | मणिपुर | | 0.59 | | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 |
| 20. | मेघालय | | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0.05 | 0.08 |
| 21. | मिजोरम | | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.53 | 0 |
| 22. | नागालैंड | | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0.08 | 0 |
| 23. | त्रिपुरा | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 0.01 | 0 |
| 24. | ओडिशा | | 3.66 | 70.84 | 4.60 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 0 |
| 25. | पंजाब | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0.63 | 0 |
| 26. | राजस्थान | 6.35 | 4.39 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 |
| 27. | सिक्किम | 0.65 | 0 | 0 | 33.49 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 |
| 28. | तमिलनाडु | 0 | 15.58 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 |
| 29. | तेलंगाना | 2.46 | 1.26 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 29.73 | 22.13 | 139.62 | 24.46 | 1.82 | 2.68 | 0 | 83.22 | 0 |
| 31. | उत्तराखंड | 0 | 0.33 | 3.70 | 12.07 | 14.62 | 46.29 | 0 | 36.23 | 0 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 34.14 | 89.71 | 0 | 0 | 0.0023 | 21.57 | 0.18 |
| 33. | पांडिचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 |
| 34. | अखिल भारत | 178.01 | 92.23 | 103.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |
| 35. | अन्य | 0 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.45 | 0 |

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 12.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3195 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन (3) वित्तीय वर्षों के दौरान मणिपुर में विद्युत पीएसयू द्वारा अपनी सीएसआर निधियों के तहत खर्च की गई निधियों की मात्रा के ब्यौरे

| सीपीएसयू का नाम | जिले का नाम | मणिपुर में सीएसआर क्रियाकलापों में उपयोग की गई निधियां (करोड़ रु. में) | | |
|---------------------------------------|--|--|---------|---------|
| | | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
| पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड | सम्पूर्ण मणिपुर | 0.28 | 0 | 0 |
| रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन | जिला उखरूल | 0 | 0 | 0.59 |
| एनएचपीसी लिमिटेड | चोराचांदपुर | 7.779 | 1.713 | 4.795 |
| पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | बिष्णुपुर, इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, सेनापति, थोबुल, उखरूल, चोराचांदपुर, चंदेल, तामेंगलॉग, जिरिबम | 0 | 0 | 1.12 |
| | बिष्णुपुर, इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, सेनापति, थोबुल, उखरूल, जिरिबम | 0 | 1.59 | 0 |
| | इम्फाल | 0.01 | 0 | 0 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3197

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

जम्मू और कश्मीर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स

3197. श्री हसनैन मसूदी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में जिले-वार कितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स (एचईपी) कार्यशील और निर्माणाधीन हैं;

(ख) जम्मू-कश्मीर में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और स्वीकृत एचईपी की क्षमता कितनी है;

(ग) जम्मू-कश्मीर में 5.6 केवी विद्युत पारेषण का 33 केवी विद्युत पारेषण में उन्नयन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या जम्मू-कश्मीर में विभिन्न सरकारी विभागों, निजी कंपनियों और उपभोक्ताओं पर बिजली का बकाया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जम्मू कश्मीर में 3360 मेगावाट की कुल 11 जल विद्युत परियोजनाएं/विद्युत स्टेशनों (25 मेगावाट से अधिक) संस्थापित और प्रचालनरत हैं। इन विद्युत स्टेशनों का जिला-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

वर्तमान में, जम्मू कश्मीर में कुल 1709.50 मेगावाट की 5 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) कार्यान्वयनाधीन हैं। इन परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-II में है।

(ग) : विद्युत वितरण संबंधित राज्य सरकारों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों के कार्यक्षेत्र में आता है और सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वितरण ट्रांसफार्मर सहित वितरण प्रणाली का उन्नयन और सुदृढीकरण संबंधित विद्युत यूटिलिटियों का उत्तरदायित्व है।

भारत सरकार, उप पारेषण और वितरण अवसंरचना का सृजन और संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं का मीटरिंग, वितरण अवसंरचनाओं का सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमीकरण सहित भूमिगत और एरियल बंचड केबिलों आदि के लिए विभिन्न चल रही परियोजनाओं जैसे एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रही है।

(घ) : विद्युत विकास विभाग, जम्मू कश्मीर सरकार ने विभिन्न उपभोक्ताओं की श्रेणियों के विद्युत देयताओं का ब्यौरा निम्नानुसार सूचित किया है:

(करोड़ रुपये में)

| टैरिफ श्रेणी | कुल बकाया (केपीडीसीएल) | कुल बकाया (जेपीडीसीएल) | कुल बकाया |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| राज्य/केन्द्रीय(सरकारी विभागों) | 1864.20 | 4070.84 | 5935.04 |
| औद्योगिक/वाणिज्यिक | 581.81 | 880.52 | 1462.33 |
| घरेलू | 828.39 | 1095.95 | 1924.34 |
| कुल | 3274.40 | 6047.31 | 9321.71 |

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 12.03.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3197 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जल विद्युत स्टेशनों (25 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता) का ब्यौरा
(29.02.2020 की स्थिति के अनुसार)

| क्रम सं. | क्षेत्र/यूटिलिटी/स्टेशन | जिला | 29.02.2020 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट) | डिजाइन ऊर्जा (एमयू) |
|----------|-------------------------|-----------------|---|---------------------|
| | जम्मू व कश्मीर | | | |
| | केंद्रीय क्षेत्र | | | |
| | एनएचपीसी | | | |
| 1 | दुलहस्ती | किश्तवाड़ | 390.00 | 1907.00 |
| 2 | सलाल-I | रियासी व ऊधमपुर | 345.00 | 3082.00 |
| 3 | सलाल-II | | 345.00 | |
| 4 | सेवा-II | महास्का | 120.00 | 533.52 |
| 5 | उड़ी | बारामूला | 480.00 | 2587.38 |
| 6 | उड़ी-II | | 240.00 | 1124.00 |
| 7 | किशनगंगा | बांदीपोरा | 330.00 | 1705.62 |
| | कुल एनएचपीसी | | 2250.00 | 10939.52 |
| | राज्य क्षेत्र | | | |
| | जेकेएसपीडीसी | | | |
| 8 | बगलीहार | रामबाण | 450.00 | 2643.00 |
| 9 | बगलीहार-II | | 450.00 | 1302.30 |
| 10 | लोअर झेलम | बारामूला | 105.00 | 533.00 |
| 11 | अपर सिंध-II | गंदरबाल | 105.00 | 355.00 |
| | कुल जेकेएसपीडीसी | | 1110.00 | 4833.30 |
| | कुल जम्मू व कश्मीर | | 3360.00 | 15772.82 |

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 12.03.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3197 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

जम्मू व कश्मीर में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची (25 मेगावाट से अधिक)

| क्रम सं. | स्कीम का नाम | क्षेत्र | जिला | संस्थापित क्षमता (सं. x मेगावाट) | निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट) | नदी/बेसिन | चालू होने की संभावना |
|----------|----------------------------|---|-----------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | जम्मू व कश्मीर | | | | | | |
| 1 | पकलदुल (सीवीपीपीएल) | केंद्रीय पीएसयू एवं राज्य पीएसयू का संयुक्त उद्यम | किश्तवाड़ | 4x250 | 1000.00 | मरूसदर/चिनाब /सिंधु नदी | 2024-25 (दिसंबर, 24) |
| 2 | परनई (जेकेएसपीडीसी) | राज्य | पुंछ | 3x12.5 | 37.50 | झेलम/सिंधु नदी | 2021-22 (फरवरी, 22) |
| 3 | लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी) | राज्य | किश्तवाड़ | 2x24 | 48.00 | चिनाब/सिंधु नदी | 2023-24* |
| 4 | किरू (सीवीपीपीएल) | केंद्रीय पीएसयू एवं राज्य पीएसयू का संयुक्त उद्यम | किश्तवाड़ | 4x156 | 624.00 | चिनाब/सिंधु नदी | 2023-24 (सितंबर, 24) |
| | कुल: जम्मू व कश्मीर | | | | 1709.50 | | |

*कार्यो के पुनः शुरु होने से संबद्ध।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3200

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

चालू विद्युत परियोजनाएं

3200. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) महाराष्ट्र सहित देश में चल रही विद्युत परियोजनाओं और उनके द्वारा उत्पादित विद्युत का ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित देशभर में इन परियोजनाओं के तहत स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शुरू में निर्धारित लागत सहित इन परियोजनाओं के लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या कुछ परियोजनाओं में अत्यधिक लागत/समय लग रहा है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा भविष्य में इन परियोजनाओं को तय समय-सीमा और लागत के भीतर पूरा किए जाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और
- (च) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरी होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : दिनांक 29 फरवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में राज्य क्षेत्र में 13,661 मेगावाट की संस्थापित उत्पादन क्षमता सहित, देश में संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 369 गीगावाट थी। चालू वर्ष (अप्रैल-फरवरी, 2020) और विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन निम्नानुसार है:

| वर्ष | अखिल भारतीय स्तर पर विद्युत उत्पादन (बिलियन यूनिट) | महाराष्ट्र के राज्य क्षेत्र से विद्युत उत्पादन (बिलियन यूनिट) |
|-----------------------|---|--|
| 2016-17 | 1,241.689 | 49.921 |
| 2017-18 | 1,308.146 | 52.415 |
| 2018-19 | 1,376.095 | 52.029 |
| 2019-20 (फरवरी तक) | 1,281.264 | 47.925 |

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, उत्पादन एक लाइसेंस रहित गतिविधि है। इस प्रकार विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए संबंधित विकासकर्ताओं द्वारा निवेश किया जाता है। अतएव, मामला-दर-मामला आधार पर, भारत सरकार द्वारा, ऐसी परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों की इक्विटी में अंशदान के अलावा, इस संबंध में कोई निधियां स्वीकृत/आबंटित नहीं की जाती हैं। निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत का कोई उत्पादन नहीं किया जाता, विद्युत का उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने और चालू होने के बाद ही आरंभ होता है।

निर्माणाधीन थर्मल तथा हाइड्रो विद्युत परियोजनाओं की मूल तथा प्रत्याशित लागत के साथ-साथ चालू होने के मूल तथा प्रत्याशित कार्यक्रम सहित, उनके ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

(ड) और (च) : कुछ निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के समय/लागत में वृद्धि हुई है। थर्मल तथा हाइड्रो परियोजनाओं में अधिक समय लगने के प्रमुख कारण निम्नानुसार दिए गए हैं:

थर्मल

- धीमा सिविल कार्य, शेष संयंत्र उपस्करों/प्रणालियों में देरी।
- संविदात्मक मामले।
- कानून व्यवस्था की समस्या।
- अन्य ग्राहक/परियोजना विकासकर्ता (विकासकर्ताओं) से संबंधित मामले।
- बीएचईएल द्वारा इकाइयां सौंपने में देरी।
- आर एंड एम (पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण) के कार्यक्षेत्र में अंतिम रूप देने में देरी और तदनंतर परिवर्तन।
- ले-आउट प्लान में परिवर्तन।
- कलपुर्जा की अनुपलब्धता।

हाइड्रो

- भूमि अधिग्रहण में देरी।
- पर्यावरण एवं वन मामले।
- पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना मामले।
- प्राकृतिक आपदाएं।
- कानून व्यवस्था की समस्या और स्थानीय मामले।
- संविदात्मक मामले।
- भू-गर्भीय अनिश्चितताएं/अप्रत्याशित घटनाएं।
- कठिन भू-भाग और खराब पहुंच।
- विकासकर्ता के पास निधि संबंधी रूकावटें।
- अप्रत्याशित घटना जोखिम।
- अंतर-राज्यीय मामले।

लागत अधिक होने के मुख्य कारण ब्याज की दरों में बढ़ोत्तरी, सामान्य मूल्य सूचकांक में बढ़ोत्तरी तथा योजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हैं।

उपर्युक्त परियोजनाओं की समय से पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार में निम्नलिखित निगरानी तंत्र मौजूद है:

- i. विद्युत मंत्रालय/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कार्यस्थल के बारंबार दौरों और विकासकर्ताओं तथा उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत के माध्यम से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। सीईए विकासकर्ताओं एवं अन्य पणधारियों के साथ आवधिक रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करता है और परियोजनाओं के चालू होने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को चिह्नित करता है और उनके समाधान में सहायता करता है।
- ii. केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की परियोजनाओं के मामले में, संबंधित सीपीएसयू तथा विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक एमओयू में परियोजना कार्यान्वयन के पैरामीटर/लक्ष्य सम्मिलित किए गए हैं और इसकी सीपीएसयू की तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठक तथा विद्युत मंत्रालय/सीईए में आयोजित अन्य बैठकों के दौरान निगरानी की जाती है।
- iii. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के अंतर्गत परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) विकासकर्ताओं के सामने आ रहे मामलों/बाधाओं को केंद्रीय/राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ उठाते हुए इनका समाधान करता है।
- iv. मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) मामलों के समाधान में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की सहायता करने के लिए, मामले को राज्य सरकार/जिला प्रशासन के साथ उठाया जाता है।
- v. जहां कहीं आवश्यक हो, सक्रिय संचालन एवं समय से कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रगति पोर्टल में मामले की समीक्षा भी की जाती है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 12.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3200 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

चालू होने के मूल एवं अनुमानित समय के साथ-साथ उनकी मूल एवं अनुमानित लागत सहित निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | यूनिट सं. | क्षमता (मेगावाट) | चालू होने का मूल समय | चालू होने का अनुमानित समय | मूल लागत (करोड़ रु. में) | नवीनतम लागत (करोड़ रु. में) |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| केंद्रीय क्षेत्र | | | | | | | |
| 1 | बाढ़ एसटीपीपी-I | यू-1 | 660 | अगस्त-09 | अप्रैल-20 | 8693 | 21312.1 |
| | | यू-2 | 660 | जून-10 | अप्रैल-21 | | |
| | | यू-3 | 660 | अप्रैल-11 | मई-22 | | |
| 2 | नबी नगर टीपीपी | यू-4 | 250 | नवंबर-13 | अप्रैल-20 | 5352.51 | 9996.59 |
| 3 | न्यू नबी नगर टीपीपी | यू-2 | 660 | जुलाई-17 | अप्रैल-20 | 13624.02 | 17304.3 |
| | | यू-3 | 660 | जनवरी-18 | मार्च-22 | | |
| 4 | नॉर्थ करणपुरा एसटीपीपी | यू-1 | 660 | फरवरी-18 | अक्टूबर-20 | 14367 | 15164.05 |
| | | यू-2 | 660 | अगस्त-18 | अक्टूबर-21 | | |
| | | यू-3 | 660 | फरवरी-19 | मार्च-22 | | |
| 5 | गदरवारा एसटीपीपी | यू-2 | 800 | सितंबर-17 | जनवरी-20 | 11638.55 | 12865.92 |
| 6 | खरगोन एसटीपीपी | यू-2 | 660 | सितंबर-19 | मार्च-20 | 9870.51 | 11148.86 |
| 7 | दालीपल्ली एसटीपीपी | | | | | 12532.44 | 13740.53 |
| | | यू-2 | 800 | जून-18 | जून-20 | | |
| 8 | नैवेली न्यू टीपीपी | | | | | 5907.11 | 5907.11 |
| | | यू-2 | 500 | मार्च-18 | मार्च-20 | | |
| 9 | तेलंगाना एसटीपीपी स्टे.-I | यू-1 | 800 | जनवरी-20 | जुलाई-20 | 10599 | 11811 |
| | | यू-2 | 800 | जुलाई-20 | जुलाई-21 | | |
| 10 | लारा एसटीपीपी | यू-2 | 800 | मई-17 | जनवरी-20 | 11846 | 12739.82 |
| 11 | मेजा एसटीपीपी | यू-2 | 660 | दिसंबर-16 | जून-20 | 10821 | 12176.28 |
| 12 | टांडा टीपीपी स्टे.-II | यू-6 | 660 | फरवरी-20 | अप्रैल-20 | 9188.98 | 10016.1 |
| 13 | घाटमपुर टीपीपी | यू-1 | 660 | अप्रैल-20 | फरवरी-22 | 17237.8 | 17237.8 |
| | | यू-2 | 660 | अक्टूबर-20 | फरवरी-23 | | |
| | | यू-3 | 660 | अक्टूबर-20 | अगस्त-23 | | |
| 14 | बरसिंगसर टीपीपी एक्सटें. | यू-1 | 250 | मई-20 | अप्रैल-23 | 2112.59 | 2112.59 |
| 15 | बिथनोक टीपीपी | यू-1 | 250 | मई-20 | सितंबर-23 | 2196.3 | 2196.3 |
| 16 | पतरातु एसटीपीपी | यू-1 | 800 | जनवरी-22 | मई-22 | 17112 | 17113 |
| | | यू-2 | 800 | सितंबर-22 | सितंबर-22 | | |
| | | यू-3 | 800 | दिसंबर-22 | दिसंबर-22 | | |
| 17 | राऊरकेला पीपी-II एक्सपेंशन | यू-1 | 250 | दिसंबर-18 | अप्रैल-22 | 1885.13 | 1885.13 |
| 18 | खुर्जा एससीटीपीपी | यू-1 | 660 | मार्च-23 | अप्रैल-23 | 11089.42 | 11089.42 |
| | | यू-2 | 660 | सितंबर-23 | सितंबर-23 | | |
| 19 | बक्सर टीपीपी | यू-1 | 660 | जुलाई-23 | जुलाई-23 | 10439.09 | 10439.09 |
| | | यू-2 | 660 | जनवरी-24 | जनवरी-24 | | |
| राज्य क्षेत्र | | | | | | | |
| 1 | नामरूप सीसीजीटी | एसटी | 36.15 | जनवरी-12 | जनवरी-20 | 411 | 693.73 |
| 2 | डॉ. नारल्ला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V | यू-1 | 800 | जून-19 | फरवरी-20 | 5286.54 | 5286.54 |
| 3 | श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी | यू-1 | 800 | मार्च-19 | सितंबर-20 | 4276.04 | 6034 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------|-----|------------|------------|-----------|----------|
| | स्टे.-II | | | | | | |
| 4 | सूरतगढ़ एससीटीपीपी | यू-7 | 660 | सितंबर-16 | जनवरी-20 | 7920 | 9161.35 |
| | | यू-8 | 660 | दिसंबर-16 | सितंबर-20 | | |
| 5 | भद्रादरी टीपीपी | यू-1 | 270 | मार्च-17 | मार्च-20 | 5044 | 8536.98 |
| | | यू-2 | 270 | मई-17 | सितंबर-20 | | |
| | | यू-3 | 270 | जुलाई-17 | मार्च-21 | | |
| | | यू-4 | 270 | सितंबर-17 | मार्च-22 | | |
| 6 | एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी (लैंको) | यू-1 | 660 | जनवरी-18 | जून-23 | 4956 | 5421.38 |
| 7 | एन्नोर एससीटीपीपी | यू-1 | 660 | जनवरी-18 | मई-22 | 9800 | 9800 |
| | | यू-2 | 660 | मार्च-18 | जुलाई-22 | | |
| 8 | नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III | यू-1 | 800 | मार्च-19 | सितंबर-20 | 6376 | 6376 |
| 9 | अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी | यू-1 | 800 | मार्च-19 | अप्रैल-22 | 12778 | 12778 |
| | | यू-2 | 800 | अक्टूबर-19 | अगस्त-22 | | |
| 10 | हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.-II | यू-1 | 660 | जून-19 | अप्रैल-20 | 4826.49 | 5500.98 |
| 11 | केपीसीएल द्वारा येलहांका सीसीपीपी | जीटी+एसटी | 370 | मार्च-18 | जनवरी-20 | 1571.18 | 1571.18 |
| 12 | जवाहरपुर एसटीपीपी | यू-1 | 660 | सितंबर-20 | दिसंबर-21 | 10566.27 | 10566.27 |
| | | यू-2 | 660 | जनवरी-21 | अप्रैल-22 | | |
| 13 | ओबरा-सी एसटीपीपी | यू-1 | 660 | सितंबर-20 | मार्च-22 | 10416 | 10416 |
| | | यू-2 | 660 | दिसंबर-20 | अप्रैल-22 | | |
| 14 | यादादरी टीपीएस | यू-1 | 800 | सितंबर-20 | सितंबर-22 | 29965 | 29965 |
| | | यू-2 | 800 | सितंबर-20 | अक्टूबर-22 | | |
| | | यू-3 | 800 | मार्च-21 | मार्च-23 | | |
| | | यू-4 | 800 | मार्च-21 | मार्च-23 | | |
| | | यू-5 | 800 | सितंबर-21 | सितंबर-23 | | |
| 15 | पंकी टीपीएस एक्सपें. | यू-1 | 660 | | सितंबर-23 | - | - |
| 16 | उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I | यू-1 | 660 | फरवरी-21 | अप्रैल-22 | 13076.705 | - |
| | | यू-2 | 660 | फरवरी-21 | जुलाई-22 | | - |
| 17 | भुसावल टीपीएस | यू-6 | 660 | नवंबर-21 | नवंबर-22 | - | - |
| निजी क्षेत्र | | | | | | | |
| 1 | भावनापडु टीपीपी फेज-I | यू-1 | 660 | अक्टूबर-13 | अनिश्चित | 6571.94 | 9343.15 |
| | | यू-2 | 660 | मार्च-14 | अनिश्चित | | |
| 2 | थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II | यू-3 | 350 | मई-12 | दिसंबर-20 | 5005 | 5005 |
| | | यू-4 | 350 | अगस्त-12 | मार्च-21 | | |
| 3 | अकालतारा टीपीपी (नैयारा) | यू-4 | 600 | अप्रैल-13 | अप्रैल-23 | 16190 | 27080 |
| | | यू-5 | 600 | अगस्त-13 | अनिश्चित | | |
| | | यू-6 | 600 | दिसंबर-13 | अनिश्चित | | |
| 4 | सिरिया टीपीपी (जस इंफ्रा. टीपीपी) | यू-1 | 660 | अगस्त-14 | अनिश्चित | 11120 | 11120 |
| | | यू-2 | 660 | दिसंबर-14 | अनिश्चित | | |
| | | यू-3 | 660 | अप्रैल-15 | अनिश्चित | | |
| | | यू-4 | 660 | अगस्त-15 | अनिश्चित | | |

| | | | | | | | |
|----|--|------|-----|------------|-----------|---------|----------|
| 5 | बिंजकोट टीपीपी | यू-3 | 300 | मार्च-14 | अनिश्चित | 5058 | 7940 |
| | | यू-4 | 300 | जून-14 | अनिश्चित | | |
| 6 | लैंको अमरकंटक टीपीपी-II | यू-3 | 660 | जनवरी-12 | अनिश्चित | 6886 | 10815.24 |
| | | यू-4 | 660 | मार्च-12 | अनिश्चित | | |
| 7 | सिंघीतराई टीपीपी | यू-1 | 600 | नवंबर-14 | अनिश्चित | 6200 | 8443.79 |
| | | यू-2 | 600 | फरवरी-15 | अनिश्चित | | |
| 8 | सलोरा टीपीपी | यू-2 | 135 | सितंबर-11 | अनिश्चित | 1458.44 | 1458.44 |
| 9 | देवरी (विसा) टीपीपी | यू-1 | 600 | अगस्त-13 | अनिश्चित | 2618.7 | 3930 |
| 10 | मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I | यू-1 | 270 | अप्रैल-12 | अनिश्चित | 2900 | 2900 |
| | | यू-2 | 270 | मई-12 | अनिश्चित | | |
| 11 | मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II | यू-3 | 270 | अक्टूबर-12 | अनिश्चित | 3182 | 3182 |
| | | यू-4 | 270 | जनवरी-13 | अनिश्चित | | |
| 12 | तोरी टीपीपी फेज-I | यू-1 | 600 | जुलाई-12 | अनिश्चित | 5700 | 5700 |
| | | यू-2 | 600 | सितंबर-12 | अनिश्चित | | |
| 13 | तोरी टीपीपी फेज-II | यू-3 | 600 | दिसंबर-15 | अनिश्चित | 2500 | 2500 |
| 14 | अमरावती टीपीपी फेज-II | यू-1 | 270 | जुलाई-14 | अनिश्चित | 6646 | 6646 |
| | | यू-2 | 270 | सितंबर-14 | अनिश्चित | | |
| | | यू-3 | 270 | नवंबर-14 | अनिश्चित | | |
| | | यू-4 | 270 | जनवरी-15 | अनिश्चित | | |
| | | यू-5 | 270 | मार्च-15 | अनिश्चित | | |
| 15 | लैंको विदर्भा टीपीपी | यू-1 | 660 | जुलाई-14 | अनिश्चित | 6936 | 10433 |
| | | यू-2 | 660 | नवंबर-14 | अनिश्चित | | |
| 16 | नासिक टीपीपी फेज-II | यू-1 | 270 | अप्रैल-13 | अनिश्चित | 6789 | 6789 |
| | | यू-2 | 270 | जून-13 | अनिश्चित | | |
| | | यू-3 | 270 | अगस्त-13 | अनिश्चित | | |
| | | यू-4 | 270 | अक्टूबर-13 | अनिश्चित | | |
| | | यू-5 | 270 | दिसंबर-13 | अनिश्चित | | |
| 17 | बिजोरा घनमुख टीपीपी | यू-1 | 300 | दिसंबर-16 | अनिश्चित | 3189 | 3450 |
| | | यू-2 | 300 | मार्च-17 | अनिश्चित | | |
| 18 | शीरपुर टीपीपी | यू-2 | 150 | अप्रैल-15 | जुलाई-23 | 2413 | 2413 |
| 19 | गोरजी टीपीपी | यू-1 | 660 | जून-13 | अनिश्चित | 3941 | 3941 |
| 20 | इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा) | यू-2 | 350 | दिसंबर-11 | जून-23 | 3150 | 4001 |
| 21 | केवीके नीलांचल टीपीपी | यू-1 | 350 | दिसंबर-11 | अनिश्चित | 4990 | 6000 |
| | | यू-2 | 350 | फरवरी-12 | अनिश्चित | | |
| | | यू-3 | 350 | फरवरी-12 | अनिश्चित | | |
| 22 | लैंको बाबंध टीपीपी | यू-1 | 660 | अप्रैल-13 | अनिश्चित | 6930 | 10430 |
| | | यू-2 | 660 | अगस्त-13 | अनिश्चित | | |
| 23 | मली ब्राह्मणी टीपीपी | यू-1 | 525 | दिसंबर-12 | अनिश्चित | 5093 | 6330 |
| | | यू-2 | 525 | फरवरी-13 | अनिश्चित | | |
| 24 | तूतीकोरिन टीपीपी (इंड बराथ) | यू-1 | 660 | मई-12 | अनिश्चित | 3595 | 3595 |
| 25 | तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV | यू-1 | 525 | सितंबर-18 | सितंबर-21 | 3514 | 3514 |
| 26 | हिरनमये एनर्जी लि. (इंडिया पावर कारपोरेशन (हल्दिया) टीपीपी | यू-3 | 150 | मई-16 | सितंबर-23 | 2656 | 3307 |

लोक सभा में दिनांक 12.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3200 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

चालू होने के मूल एवं अनुमानित समय के साथ-साथ उनकी मूल एवं अनुमानित लागत सहित निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | यूनिट सं. | क्षमता (मेगावाट) | चालू होने का मूल समय | चालू होने का अनुमानित समय | समय आधिक्य (माह) | मूल लागत (करोड़ रु. में) | नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रु. में) |
|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| केंद्रीय क्षेत्र | | | | | | | | | |
| 1 | तपोवन विष्णुगाड (4x130 = 520 मेगावाट) | उत्तराखंड | 1 2 3 4 | 130 130 130 130 | 2012-13 2012-13 2012-13 2012-13 | 2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 | 105 | 2978.48 | 5867.38 |
| 2 | लता तपोवन (3x57 = 171 मेगावाट) | उत्तराखंड | 1 2 3 | 57 57 57 | 2017-18 2017-18 2017-18 | 2023-24 2023-24 2023-24 (कार्यो के पुनः शुरू होने से संबद्ध (4 वर्ष)) | 79 | 1527 | 1801.07 |
| 3 | रम्माम-III (3x40= 120 मेगावाट) | पश्चिम बंगाल | 1 2 3 | 40 40 40 | 2019-20 2019-20 2019-20 | 2022-23 2022-23 2022-23 | 38 | 1381.84 | 1592.34 |
| 4 | कामेंग (4x150 = 600 मेगावाट) प्रचालनरत 2 यूनिटें | केंद्रीय | 3 4 | 150 150 | 2009-10 2009-10 | 2020-21 2020-21 | 127 | 2496.9 | 6179.96 |
| 5 | नेटवर मोरी (2x30=60 मेगावाट) | केंद्रीय | 1 2 | 30 30 | अक्तूबर, 2021 - | 2021-22 (दिसंबर-2021) | 14 - | 648.33 | 648.33 - |
| 6 | टिहरी पीएसएस (4x250 = 1000 मेगावाट) | उत्तराखंड | 1 2 3 4 | 250 250 250 250 | 2010-11 2010-11 2010-11 2010-11 | 2021-22 2021-22 2022-23 2022-23 | 137 139 141 143 | 1657.6 | 5024.35 |
| 7 | पारबती-II (4x200 = 800 मेगावाट) | हिमाचल प्रदेश | 1 2 3 4 | 200 200 200 200 | 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 | 2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 | 147 | 3919.59 | 9394.8 |
| 8 | सुबानसिरी लोअर (8x250 = 2000 मेगावाट) | अरुणाचल प्रदेश/ असम | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 250 250 250 250 250 250 250 250 | 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 | 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 | 162 | 6285.33 | 19496.34 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|--------|-------|--------------------------------------|---|---------|--------------------------|--------------------------|
| 9 | तीस्ता स्टेज-VI (4x125 = 500 मेगावाट) | सिक्किम | 1 | 125 | के अंतर्गत 2012-13 | क्षेत्र 08.03.2019 तक | 72 | 3283.08 | 7542 |
| | | | 2 | 125 | 2012-13 | | | | |
| | | | 3 | 125 | 2012-13 | | | | |
| | | | 4 | 125 | 2012-13 | | | | |
| | | | 1 | 125 | (जुलाई, 12) के अंतर्गत 2023-24 | क्षेत्र 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (5 वर्ष)) | 5748.04 | 5748.04 | |
| | | | 2 | 125 | 2023-24 | | | | |
| | | | 3 | 125 | 2023-24 | | | | |
| | | | 4 | 125 | 2023-24 | | | | |
| 10 | विष्णुगाड पीपलकोटि (4x111 = 444 मेगावाट) | उत्तराखंड | 1 | 111 | 2013-14 | 2022-23 | 114 | 2491.58 | 4397.8 |
| | | | 2 | 111 | 2013-14 | 2022-23 | | | |
| | | | 3 | 111 | 2013-14 | 2022-23 | | | |
| | | | 4 | 111 | 2013-14 | 2022-23 | | | |
| 11 | पकलदुल (4x250= 1000 मेगावाट) सीवीपीपी | जम्मू व कश्मीर | 1 | 250 | 2020-21 | 2024-25 | 56 | 8112.12 | 8112.12 |
| | | | 2 | 250 | 2020-21 | 2024-25 | | | |
| | | | 3 | 250 | 2020-21 | 2024-25 | | | |
| | | | 4 | 250 | 2020-21 (अप्रैल, 20) | 2024-25 (दिसंबर, 24) | | | |
| 12 | रत्ले (4x205+1x30) = 850 मेगावाट | जम्मू व कश्मीर | 1 | 205 | 2017-18 | 2023-24 | 72 | 5517.02 | 6275 |
| | | | 2 | 205 | 2017-18 | 2023-24 | | | |
| | | | 3 | 205 | 2017-18 | 2023-24 | | | |
| | | | 4 | 205 | 2017-18 | 2023-24 | | | |
| | | | 5 | 30 | 2017-18 | 2023-24 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (5 वर्ष)) | | | |
| 13 | किरू (4x156)=624 मेगावाट | जम्मू व कश्मीर | 1 से 4 | 324 | सितंबर-23 | 2023-24 (अगस्त-2024) | 11 | 4287.59 | 4620.34 |
| राज्य क्षेत्र | | | | | | | | | |
| 14 | परनई 3x12.5= 37.5 मेगावाट | जम्मू व कश्मीर | 1 | 12.5 | 2017-18 | 2021-22 | 49 | 640.86 (पूर्णता लागत) | 640.86 (पूर्णता लागत) |
| | | | 2 | 12.5 | 2017-18 | 2021-22 | | | |
| | | | 3 | 12.5 | 2017-18 (जनवरी, 18) | 2021-22 (फरवरी, 22) | | | |
| 15 | लोअर कलनई 2x24= 48 मेगावाट | जम्मू व कश्मीर | 1 | 24 | 2017-18 | 2023-24 | 78 | 576.87 (पूर्णता लागत) | 576.87 (पूर्णता लागत) |
| | | | 2 | 24 | 2017-18 (सितंबर, 17) | 2023-24 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (4 वर्ष)) | | | |
| 16 | उहल-III (3x33.33 = 100 मेगावाट) | हिमाचल प्रदेश | 1 | 33.33 | 2006-07 | 2019-20 | 154 | 431.56 | 1281.52 |
| | | | 2 | 33.33 | 2006-07 | 2019-20 | 155 | | |
| | | | 3 | 33.33 | 2006-07 | 2019-20 | 156 | | |
| 17 | स्वारा कुड्डू (3x37 =111मेगावाट) | हिमाचल प्रदेश | 1 | 37 | 2011-12 | 2020-21 | 101 | 558.53 | 1181.9 |
| | | | 2 | 37 | 2011-12 | 2020-21 | 102 | | |
| | | | 3 | 37 | 2011-12 | 2020-21 | 103 | | |
| 18 | शॉगटोम करछम (3x150 = 450 मेगावाट) | हिमाचल प्रदेश | 1 | 150 | 2016-17 | 2023-24 | 81 | 2807.83 | 2807.83 |
| | | | 2 | 150 | 2016-17 | 2023-24 | 83 | | |
| | | | 3 | 150 | 2016-17 | 2024-25 | 85 | | |
| 19 | पल्लीवसल | केरल | 1 | 30 | 2010-11 | 2021-22 | 129 | 222 | 550 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----|-----|-------------------------|--|-------|--------------------|--------------------|
| | 2x30 = 60 मेगावाट | | 2 | 30 | 2010-11 | 2021-22 | | | |
| 20 | थोटियार (1x30+1x10)= 40मेगावाट | केरल | 1 | 30 | 2012-13 | 2020-21 | 104 | 136.79 | 280 |
| | | | 2 | 10 | 2012-13 | 2020-21 | | | |
| 21 | शाहपुरकंडी 3x33+3x33+1x8 206 मेगावाट | पंजाब | 1 | 33 | 2015-16 | 2022-23 | | 1835.5 | 1938.74 |
| | | | 2 | 33 | 2015-16 | 2022-23 2022- 23 | | | |
| | | | 3 | 33 | 2015-16 | 2022-23 | 74 | (विद्युत संघटक) | (विद्युत संघटक) |
| | | | 4 | 33 | 2015-16 | 2022-23 | | | |
| | | | 5 | 33 | 2015-16 | 2022-23 | | | |
| | | | 6 | 33 | 2015-16 | 2022-23 | | | |
| | | | 7 | 8 | 2015-16 | (मई, 22) | 74 | | |
| 22 | कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40 = 80 मेगावाट | महाराष्ट्र | 1 | 40 | 2014-15 | 2022-23 | 101 | 245.02 | 1494.94 |
| | | | 2 | 40 | 2014-15 | (कार्यो के पुनः शुरू होने से संबद्ध (4 वर्ष)) | | | |
| 23 | व्यासी 2x60=120 मेगावाट, सूजेवीएनएल | उत्तराखंड | 1 | 60 | 2014-15 | 2020-21 | 75 | 936.23 | 936.23 |
| | | | 2 | 60 | 2014-15 | 2020-21 | | | |
| 24 | पोलावरम (12x80 = 960 मेगावाट) | आंध्र प्रदेश | 1 | 80 | 2016-17 | 2021-22 | | 3013.68 | 5338.95 |
| | | | 2 | 80 | 2016-17 | 2021-22 | | | |
| | | | 3 | 80 | 2016-17 | 2021-22 | 60 | (विद्युत संघटक) | (विद्युत संघटक) |
| | | | 4 | 80 | 2016-17 | 2021-22 | | | |
| | | | 5 | 80 | 2016-17 | 2021-22 | | | |
| | | | 6 | 80 | 2016-17 | 2022-23 | | | |
| | | | 7 | 80 | 2017-18 | 2022-23 | 60 | | |
| | | | 8 | 80 | 2017-18 | 2022-23 | | | |
| | | | 9 | 80 | 2017-18 | 2022-23 | | | |
| | | | 10 | 80 | 2017-18 | 2022-23 | 60 | | |
| | | | 11 | 80 | 2017-18 | 2022-23 | | | |
| | | | 12 | 80 | 2017-18 | 2022-23 | | | |
| 25 | कुंडहा पीएसपी (फेज-I, फेज-II व फेज-III) (4x125=500 मेगावाट) | तमिलनाडु | 1 | 125 | 2021-22 | 2022-23 | | 1216.59 | |
| | | | 2 | 125 | 2021-22 | 2022-23 | | | |
| | | | 3 | 125 | 2021-22 | 2022-23 | 9 | | |
| | | | 4 | 125 | 2021-22 | 2022-23 | | | |
| निजी क्षेत्र | | | | | | | | | |
| 26 | टिडोंग-I 2x50 =100 मेगावाट | हिमाचल प्रदेश | 1 | 50 | के अंतर्गत 2013-14 | विकासकर्ता 04.09.2018 तक | 94 | 543.15 | 1286.27 |
| | | | 2 | 50 | 2013-14 (दिसंबर, 13) | 56 विकासकर्ता | | | |
| | | | 1 | 50 | के अंतर्गत 2021-22 | 2021-22 | शून्य | 940 | 940 |
| | | | 2 | 50 | 2021-22 | (Oct. 21) | | | |
| 27 | टंगनु रोमई-I (2x22 = 44 मेगावाट) | हिमाचल प्रदेश | 1 | 22 | 2014-15 | 2022-23 | 105 | 255 | 641.89 |
| | | | 2 | 22 | 2014-15 (जून, 14) | 2022-23 (कार्यो के पुनः शुरू होने से संबद्ध (4 वर्ष)) | | | |
| 28 | सोरांग (2x50 = 100 मेगावाट), | हिमाचल प्रदेश | 1 | 50 | 2011-12 | 2020-21 2020- 21 | 119 | 586 | - |
| | | | 2 | 50 | 2011-12 | | | | |
| 29 | सिंगोली भटवारी (3x33 = 99 मेगावाट) | उत्तराखंड | 1 | 33 | 2012-13 | 2020-21 | 89 | 666.47 | 1694 |
| | | | 2 | 33 | 2012-13 | 2020-21 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|--|--|--|-----|---------|---------|
| | | | 3 | 33 | 2012-13 | 2020-21 | | | |
| 30 | फाटा ब्यूंग (2x38 = 76 मेगावाट), लैंको | उत्तराखंड | 1 2 | 38 38 | 2012-13 2012-13 | 2021-22 2021-22 | 117 | 520 | 1132 |
| | | | | | | (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (3 वर्ष)) | | | |
| 31 | महेश्वर (10x40 = 400 मेगावाट) | मध्य प्रदेश | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 | 2020-22 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (1-½ वर्ष)) | 240 | 1569.27 | 8121 |
| 32 | रंगित-IV एचई परियोजना (3x40 = 120 मेगावाट) | सिक्किम | 1 2 3 | 40 40 40 | 2011-12 2011-12 2011- 12 (जनवरी, 12) | 2022-23 2022-23 2022-23 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (3-½ वर्ष)) | 134 | 726.17 | 1692.6 |
| 33 | भास्मे (2x25.5 =51 मेगावाट) | सिक्किम | 1 2 | 25.5 25.5 | 2012-13 2012-13 | 2022-23 2022-23 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (3 वर्ष)) | 129 | 408.5 | 746.01 |
| 34 | रौंगनीचू (2x48 =96 मेगावाट) | सिक्किम | 1 2 | 48 48 | 2014-15 2014-15 | 2020-21 2020-21 | 74 | 491.32 | 1187.45 |
| 35 | बजोली होली 3x60= 180 मेगावाट | हिमाचल प्रदेश | 1 2 3 | 60 60 60 | 2018-19 2018-19 2018-19 | 2020-21 2020-21 2020-21 | 29 | 1696.93 | 2525 |
| 36 | रंगित-II 2x33= 66 मेगावाट | सिक्किम | 1 2 | 33 33 | 2015-16 2015-16 | 2022-23 2022-23 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (2-½ वर्ष)) | 95 | 496.44 | 496.44 |
| 37 | पनन 4x75= 300 मेगावाट | सिक्किम | 1 2 3 4 | 75 75 75 75 | 2018-19 2018-19 2018-19 2018-19 | 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (4-½ वर्ष)) | 60 | 1833.05 | 2615 |
| 38 | कुटेहर 3x80=240 मेगावाट | हिमाचल प्रदेश | 1 से 3 | 240 | | 2024-25 | - | - | - |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3205

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

गांवों को विद्युत आपूर्ति

3205. श्री रमेश चन्द्र माझी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विद्युत-आपूर्ति से जुड़े ग्रामीण आवासों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है और उन ग्रामीण आवासों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी है जिन्हें अभी भी इससे जोड़ा जाना बाकी है;
- (ख) क्या गांवों के हर घर में विद्युत की सुविधा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) गांवों में प्रति आवास गृह औसत विद्युत की खपत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) देशभर के सभी घरों में विद्युत-आपूर्ति प्रदान करने के लिए गत दो वर्षों के दौरान किए गए आवंटन सहित विद्युतीकृत गांवों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) एवं (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 28.04.2018 की स्थिति के अनुसार देश में सभी बसावट वाले जनगणना गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के एलडब्ल्यूई प्रभावित बस्तर क्षेत्र में कुछ घरों को छोड़कर, सभी राज्यों ने, सौभाग्य पोर्टल पर, सभी घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। इसके बाद, सात राज्यों ने 19,09,679 घरों की सूचना दी है जो पहले अनिच्छुक थे लेकिन बाद में विद्युत कनेक्शन पाने के इच्छुक हो गए। इनमें से, दिनांक 28.02.2020 तक 11,67,080 घरों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

(ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य-वार प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत **अनुबंध-II** पर दी गई है।

(घ) : दिनांक 28.04.2018 को सभी राज्यों ने सभी बसावट वाले जनगणना गांवों के विद्युतीकरण की सूचना दी। विगत दो वर्षों में विद्युतीकृत किए गए गांवों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-III** पर दिए गए हैं। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य के अंतर्गत किसी राज्य को कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां पिछली किश्त (किश्तों) के सूचित समुपयोजन तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर किश्तों में जारी की जाती हैं। भारत सरकार ने डीडीयूजीजेवाई तथा सौभाग्य के अंतर्गत विगत दो वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए अनुदान के रूप में 29,729.93 करोड़ रुपये संवितरित किए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध-IV** में दिए गए हैं।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 12.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3205 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य योजना के तहत 31.03.2019 से पूर्व अभिचिन्हित राज्य-वार इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घर

| | राज्य | गैर-विद्युतीकृत घर (पूर्व में अनिच्छुक) | 01.04.2019 से 28.02.2020 तक विद्युतीकृत घर | शेष (28.02.2020 की स्थिति के अनुसार) |
|---|--------------|--|--|---|
| 1 | असम | 200,000 | 154,618 | 45,382 |
| 2 | छत्तीसगढ़ | 40,394 | 21,480 | 18,914 |
| 3 | झारखंड | 200,000 | 131,880 | 68,120 |
| 4 | कर्नाटक | 39,738 | 26,687 | 13,051 |
| 5 | मणिपुर | 1,141 | 1,980 | 0 |
| 6 | राजस्थान* | 228,403 | 212,786 | 0 |
| 7 | उत्तर प्रदेश | 1,200,003 | 617,649 | 582,354 |
| | कुल | 1,909,679 | 1,167,080 | 727,821 |

* राज्यों ने सूचित किया है कि दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक इच्छुक घरों के विद्युतीकरण की संचयी प्रगति 2,12,786 है और शत-प्रतिशत विद्युतीकरण सूचित किया गया है।

लोक सभा में दिनांक 12.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3205 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2018-19 के लिए प्रति व्यक्ति विद्युत खपत

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | प्रति व्यक्ति खपत (कि.वा.घं.) |
|-------------------------|-------------------------------|
| चंडीगढ़ | 978 |
| दिल्ली | 1548 |
| हरियाणा | 2082 |
| हिमाचल प्रदेश | 1418 |
| जम्मू और कश्मीर | 1322 |
| पंजाब | 2046 |
| राजस्थान | 1282 |
| उत्तर प्रदेश | 606 |
| उत्तराखंड | 1467 |
| छत्तीसगढ़ | 1961 |
| गुजरात | 2378 |
| मध्य प्रदेश | 1084 |
| महाराष्ट्र | 1424 |
| दमन और दीव | 7758 |
| दादरा और नगर हवेली | 15179 |
| गोवा | 2274 |
| आंध्र प्रदेश | 1480 |
| तेलंगाना | 1896 |
| कर्नाटक | 1396 |
| केरल | 757 |
| तमिलनाडु | 1866 |
| पुडुचेरी | 1745 |
| लक्षद्वीप | 554 |
| बिहार | 311 |
| झारखंड | 938 |
| ओडिशा | 1628 |
| पश्चिम बंगाल | 703 |
| सिक्किम | 873 |
| अंडमान-निकोबार | 597 |
| अरुणाचल प्रदेश | 703 |
| असम | 341 |
| मणिपुर | 371 |
| मेघालय | 881 |
| मिजोरम | 617 |
| नागालैंड | 356 |
| त्रिपुरा | 514 |
| अखिल भारत | 1181 |

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 12.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3205 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले दो वर्षों अर्थात वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आवासित जनगणना गांवों का राज्य-वार विद्युतीकरण

| | राज्य | कुल |
|----|-----------------|--------------|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 1,134 |
| 2 | असम | 572 |
| 3 | बिहार | 596 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 379 |
| 5 | जम्मू और कश्मीर | 97 |
| 6 | झारखंड | 729 |
| 7 | कर्नाटक | 25 |
| 8 | मध्य प्रदेश | 49 |
| 9 | महाराष्ट्र | 80 |
| 10 | मणिपुर | 170 |
| 11 | मेघालय | 369 |
| 12 | मिजोरम | 14 |
| 13 | नागालैंड | 2 |
| 14 | ओडिशा | 925 |
| 15 | राजस्थान | 1 |
| 16 | उत्तर प्रदेश | 31 |
| 17 | उत्तराखंड | 73 |
| 18 | पश्चिम बंगाल | 5 |
| | कुल | 5,251 |

28.04.2018 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों ने सभी आवासित जनगणना गांवों के विद्युतीकरण की सूचना दी है।

लोक सभा में दिनांक 12.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3205 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य के अंतर्गत संवितरित राज्य-वार अनुदान

| राज्य का नाम | जारी की गई निधि (करोड़ रुपये) |
|--------------------|----------------------------------|
| आंध्र प्रदेश | 342.20 |
| अरुणाचल प्रदेश | 379.59 |
| असम | 1952.08 |
| बिहार | 3489.12 |
| छत्तीसगढ़ | 892.66 |
| गुजरात | 324.39 |
| हरियाणा | 67.47 |
| हिमाचल प्रदेश | 15.48 |
| जम्मू और कश्मीर* | 637.14 |
| झारखंड | 2376.65 |
| कर्नाटक | 655.36 |
| केरल | 159.25 |
| लद्दाख | 23.10 |
| मध्य प्रदेश | 1956.78 |
| महाराष्ट्र | 780.05 |
| मणिपुर | 114.61 |
| मेघालय | 310.41 |
| मिजोरम | 111.32 |
| नागालैंड | 118.12 |
| ओडिशा | 1970.70 |
| पंजाब | 57.02 |
| राजस्थान | 2130.85 |
| सिक्किम | 39.04 |
| तमिलनाडु | 245.81 |
| तेलंगाना | 120.96 |
| त्रिपुरा | 410.28 |
| उत्तर प्रदेश | 8095.88 |
| उत्तराखंड | 338.88 |
| पश्चिम बंगाल | 1609.29 |
| गोवा | 3.27 |
| दादरा व नागर हवेली | 0.90 |
| पुडुचेरी | 0.01 |
| अंडमान निकोबार | 1.26 |
| कुल | 29729.93 |

* इसमें जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त इफ्रा और सौभाग्य के अंतर्गत संवितरित राशि शामिल है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3213

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

बिजली की मांग और आपूर्ति में अंतर

3213. श्री के. नवासखनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पनबिजली उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग से पाटा जा सकता है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
- (ख) क्या देश में पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण कार्य में प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अड़चनों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या बिजली उत्पादन बढ़ाने हेतु पनबिजली परियोजनाओं का परिचालन समय बढ़ाया गया है और तदनुसार उनकी स्थिति में उन्नयन किया गया है; और
- (ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा पनबिजली परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : वर्तमान में, देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त संस्थापित उत्पादन क्षमता है। जल विद्युत, विद्युत का सुनम्य स्रोत होने के नाते, विद्युत के अन्य स्रोतों, ग्रिड को महत्वपूर्ण संतुलन विद्युत प्रदान करते हुए, विशेष रूप से अनिंतर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पन बिजली के इष्टतम उपयोग में सहायक हो सकता है।

(ख) और (ग) : जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में जिन बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उनमें (i) प्राकृतिक आपदाएं (ii) दुर्गम क्षेत्र तथा खराब पहुँच (iii) भू-वैज्ञानिक अनिश्चितताएं (iv) भूमि-अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन मुद्दे (v) क्षेत्रीय आंदोलन/विरोध (vi) पर्यावरण तथा वन स्वीकृति (vii) अंतर्राज्यीय मुद्दे (viii) संविदात्मक समस्याएं (ix) उत्पादकों की वित्तीय बाधाएं (x) लम्बी अवधि के वित्तीय साधनों में कमी (xi) न्यायालयीन मुद्दे इत्यादि सम्मिलित हैं।

भारत सरकार ने मार्च, 2019 में देश में जल विद्युत चुनौतियों का सामना करने तथा इसे बढ़ावा देने के अनेक उपायों को अनुमोदित किया है, जिनमें शामिल हैं:-

- i. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में बड़ी जल विद्युत (एलएचपी) (>25 मेगावाट से अधिक) परियोजनाओं की घोषणा।
- ii. गैर-सौर आरपीओ सहित एक अलग एन्टिटी के रूप में जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ)
- iii. आरंभिक वर्षों में प्रशुल्कों में कमी लाने के लिए प्रशुल्क विकेंद्रीकरण उपाय
- iv. बाढ़ नियंत्रण के लिए बजटीय सहायता
- v. समर्थकारी अवसंरचना अर्थात् सड़क/पुलों के लिए बजटीय सहायता

(घ) और (ङ) : पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण, अपरेटिंग तथा जीवनकाल-विस्तार (आरएमयू तथा एलई) उपायों द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं की परिचालन समय अवधि को कम से कम 25 वर्ष तक बढ़ाया गया है। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (अर्थात् वर्ष 2016-17 से दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान 2132.2 मेगावाट क्षमता के 10 विद्युत केंद्रों (केंद्रीय क्षेत्र के 3 तथा राज्य क्षेत्र के 7) के लिए आरएमयू तथा एलई गतिविधियों को पूरा कर लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 25 वर्षों के जीवनकाल विस्तार के अलावा, 218.8 मेगावाट का अतिरिक्त लाभ हुआ। इस संबंध में, पूर्ण विवरण, **परिशिष्ट** पर दिया गया है।

परिशिष्ट

लोक सभा में दिनांक 12.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3213 के भाग (घ) और (ङ) में उल्लिखित परिशिष्ट।

पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 2016-17, 2017-18, 2018-19 और वर्तमान वर्ष 2019-20 दिसंबर तक) के दौरान पूरी की गई जल विद्युत आरएमयूएंडएलई स्कीमों की राज्य-वार सूची

| क्रम सं. | परियोजना, एजेंसी, संस्थापित क्षमता (सं. X मेगावाट) | आरएमयूएंडएलई के अंतर्गत कवर की गई क्षमता (सं. X मेगावाट) | हितलाभ (मेगावाट) | श्रेणी | पूरा होने का वर्ष |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|--------------|-------------------|
| केंद्रीय क्षेत्र | | | | | |
| 1 | गंगुवाल (1x29.25+2x24.2) एवं कोटला बीबीएमबी (1x29.25+2x24.2) | 1x24.2 (यू-2) 1x24.2 (यू-3) | 48.4 (एलई) | आरएमएंडएलई | 2017-18 |
| 2 | देहार पावर हाउस (यून ट-3), बीबीएमबी (6x165) | 1x165 | - | आरएंडएम | 2017-18 |
| 3 | सलाल, एनएचपीसी (6x115) | 5x115 | - | आरएंडएम | 2019-20 |
| राज्य क्षेत्र | | | | | |
| 4 | सुंभल सिंध, जेएंडकेएसपीडीसी (2x11.3) | 2x11.3 | - | आरएंडएम | 2016-17 |
| 5 | खटीमा, यूजेवीएनएल (3x13.8) | 3x13.8 | 41.40 (एलई) | आरएमएंडएलई | 2016-17 |
| 6 | शारावथी जेनरेटिंग स्टेशन (पीएचबी), केपीसीएल (10x103.5) | 10x103.5 | - | आरएंडएम | 2016-17 |
| 7 | जलढाका स्टे.-I, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल (3x9) | 3x9 | 27 (एलई) | आरएमएंडएलई | 2016-17 |
| 8 | शोलायर-I टेनजडको (2x35) | 2x35 | 70 (एलई) + 14 (यू) | आरएमयूएंडएलई | 2019-20 |
| 9 | शोलायर-केएसई (3x18) | 1x18 (यूनिट-3) | 18 (एलई) | आरएमएंडएलई | 2019-20 |
| 10 | इदुक्की प्रथम चरण केएसईबी (3x130) | 1x130 (यूनिट-3) | - | आरएंडएम | 2019-20 |
| कुल | | 2132.2 मेगावाट | 204.8(एलई) + 14 (यू) | | |

संक्षिप्त रूप: आरएंडएम - नवीकरण एवं आधुनिकीकरण; यू - अपरेटिंग; एलई - जीवन विस्तार;

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3215

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

विद्युत की बढ़ती मांग

3215. डॉ. भारतीबेन डी. श्यालः

श्री शंकर लालवानीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2040 तक विद्युत की मांग में तीन गुना वृद्धि होगी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पारेषण, विद्युत में कम निवेश, विद्युत वितरण कंपनियों को बड़े घाटे तथा राज्य सरकार के स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्र के परिणामस्वरूप सस्ती विद्युत के कारण भूजल स्तर में गिरावट देश में विद्युत उत्पादन क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौतियां हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित 19वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19 की तुलना में, जिस वर्ष तक सर्वेक्षण किए गए हैं, अर्थात वर्ष 2036-37 तक, विद्युत की मांग में, ऊर्जा के रूप में 2.31 प्रतिशत और व्यस्ततम मांग के रूप में 2.37 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

(ख) और (ग) : वर्ष 2018 में अधिसूचित राष्ट्रीय ऊर्जा योजना (उत्पादन) के अनुसार, वर्ष 2026-27 के अंत तक अखिल भारतीय उत्पादन संस्थापित क्षमता 6,19,066 मेगावाट होने की संभावना है जिसमें परंपरागत और नवीकरणीय, दोनों स्रोत शामिल हैं। इस संभावित संस्थापित उत्पादन क्षमता से 19वें इलेक्ट्रिक पावर ऊर्जा सर्वे

द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए की गई संभावित मांग को पूरा करना संभावित है। प्रौद्योगिकी में और इसलिए उत्पादन मिश्रण में तेजी से बदलाव हो रहा है। वर्ष 2026-27 के लिए इष्टतम उत्पादन मिश्रण भंडारण प्रौद्योगिकी एवं नवीकरणीय ऊर्जा के विकास पर निर्भर करेगा।

(घ) और (ङ) : भारत धीरे-धीरे ऊर्जा की कमी वाले देश से परिवर्तित होकर विद्युत आधिक्य के निकट वाले देश की श्रेणी में आ गया है। देश में चालू वर्ष 2019-2020 (फरवरी, 2020 तक) के दौरान आई 183 जीडब्ल्यू की व्यस्ततम मांग की तुलना में 369 जीडब्ल्यू की विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता है। हमने पूरे देश में विद्युत अंतरण के लिए पर्याप्त पारेषण प्रणाली विकसित की हैं। देश में विद्युत उत्पादन क्षेत्र मुख्यतः विद्युत वितरण यूटिलिटियों की अधिकतम हानियों के कारण, डिस्कामों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। डिस्कामों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए, भारत सरकार ने उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) जैसी विभिन्न सुधार शुरुआतें की हैं।

राज्य के आयोगों द्वारा उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए राज्य उत्पादन संयंत्रों से विद्युत क्रय लागतों सहित सभी लागतों पर विचार करने के पश्चात विद्युत टैरिफ निर्धारित किया जाता है। विद्युत अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें उपभोक्ताओं को राज्य आयोगों द्वारा निर्धारित टैरिफ पर सब्सिडी प्रदान कर सकती है। विद्युत की अनावश्यक खपत के कारण भूमिगत जल के क्षरण के मुद्दे को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई टैरिफ नीति में अधिमान्यता दी गई है। उपभोक्ताओं से उचित उपभोग प्रभार वसूलने की जरूरत की पहचान हुई है। यह बताता है कि विद्युत की रियायती दरों को खपत के पूर्व पहचाने गए स्तर तक ही अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके पश्चात उपभोक्ताओं से सेवा के प्रभावी लागत दर्शाने ले प्रभार वसूल किए जाने चाहिए।
